

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2024

[पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण)/ पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय)/ पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)]

DIPLOMA-CERTIFICATE ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION-2024

[POLYTECHNIC (ENGG.) / PARA MEDICAL (MATRIC LEVEL) /

PARA MEDICAL (INTERMEDIATE LEVEL)]

D.C.E.C.E. (PE / PMM / PM) - 2024

**विवरण-पुस्तिका
2024**

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
(बिहार सरकार)**

विषय-सूची

<u>क्रम सं.</u>	<u>विवरण</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय।	3
2.	पाठ्यक्रम-समूह।	3
3.	संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें।	3
4.	पॉल्लिटेकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	3
5.	पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4
6.	पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4
7.	आरक्षण।	5
8.	सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉल्लिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए अतिरिक्त आरक्षित सीटें।	6
9.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर।	7
10.	आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क।	9
11.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश।	10
12.	आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना।	13
13.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया।	13
14.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त।	13
15.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ।	15

परिशिष्ट / सारणी

सारणी 1.1	: त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी।	17
सारणी 1.2	: प्राईवेट पॉल्लिटेकनिक अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी।	23
सारणी 2.1	: पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी।	25
सारणी 3.1A	: पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों में ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी।	26
सारणी 3.1B	: पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए निजी संस्थानों में ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी।	29
सारणी 3.1C	: पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों में जी.एन.एम. पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी।	32
सारणी 3.1D	: पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए निजी संस्थानों में जी.एन.एम. पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी।	33
सारणी 3.2	: पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सीटों की विवरणी।	35
परिशिष्ट-4	: (दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों/ केन्द्रों की सूची।)	38
परिशिष्ट-4.i	: PM/PMM पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता से सम्बन्धित अर्हता / योग्यता।	39
परिशिष्ट-4.ii	: PE पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता से सम्बन्धित अर्हता / योग्यता।	47
परिशिष्ट-4.iii	: सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) से सम्बन्धित विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का संकल्प।	48
परिशिष्ट-5	: (Certificate of Disability से सम्बन्धित मॉडल प्रपत्र) ।	49

LIST OF ENCLOSURES (CHECK LIST)

अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)

SI.No. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	(i) Certificate of passing (ii) Marks sheet and (iii) Admit Card, for Matric/ equivalent Examination for Polytechnic (Engg.) / Para Medical Courses (Matric Level) / Para Medical (Intermedicate level) माध्यमिक स्तरीय / समकक्ष परीक्षा पास होने का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण)/ पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय) / पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) के लिए]	Board or equivalent बोर्ड या समकक्ष।
2.	(i) Certificate of passing (ii) Marks Sheet and (iii) Admit Card for Intermediate / or equivalent examination for Para Medical Courses (Intermediate Level) इंटर मीडिएट स्तरीय / समकक्ष परीक्षा पास होने का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (इंटरमीडिएट स्तरीय) के लिए]	Relevant University / Council or its equivalent सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद् या समकक्ष।
3.	Caste certificate जाति प्रमाण-पत्र	Issued by the Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत।
4.	Income & Assest Certificate to be produced by Economically Weaker Section आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / C.O./ Revenue Officer of permanent resident in prescribed proforma. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ./ राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्गत।
5.	Character certificate चरित्र प्रमाण पत्र	Head of Institution last attended. जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों, उसके प्राधानाचार्य / प्राचार्य।
6.	Income Certificate (If needed to be submitted at the time of counselling) आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कौन्सलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है)	Issued by the Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी/ राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत।
7.	Application Form (Part-A) आवेदन पत्र (पार्ट-A)	Duly filled in by the candidate and photo pasted on the specified place on it. अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ एवं निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ।
8.	Photograph फोटोग्राफ	Photograph (As per 11.2 of the Prospectus) फोटोग्राफ (विवरण पुस्तिका की कंडिका-11.2 के अनुसार)।
9.	(i) Certificate for permanent resident of Bihar बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र	Issued by the Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत।

SI.No. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
*(ii)	Refugee Registration certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र	Issued by the DM/ Refugee Registration Officer जिला दंडाधिकारी / शरणार्थी निबंधन पदाधिकारी।
*(iii)	Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी हैं	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता।
*(iv)	Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of the Government of India and posted in Bihar at the time of the submission of the application इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता आवेदन पत्र देने के समय भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में कार्यरत हैं	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता।
*(v)	Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स आर्गनाइजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं	Employer concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता।
*(vi)	Certificate for Servicemen's Quota (SMQ), clearly mentioning the relationship of the candidate सर्विस मेन्स कोटा (SMQ) प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है	As per paragraph 8 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-8 के अनुसार।
*(vii)	Certificate for DISABLED Quota दिव्यांगता (DQ) प्रमाण पत्र	As per paragraph 7.5 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-7.5 के अनुसार।
10.	Adhar Card आधार कार्ड	Issued by Unique Identification Authority of India भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से निर्गत।

*** Note :** *To be furnished wherever applicable.*
आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें।

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2024

[पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण)/ पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय)/ पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)]

1. बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के ज्ञापांक- 200 दिनांक 02.02.2021 के अनुसार बिहार राज्य के अन्तर्गत पॉलिटिकनिक संस्थानों के विभिन्न अभियंत्रण पाठ्यक्रमों और पत्रांक-वि.प्रा.(II) छात्र-03/2008/3226 दिनांक 29.11.2010 तथा स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा एवं देशी चिकित्सा) विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना- 1028(1) दिनांक 31.12.2005 के अनुसार सरकारी संस्थानों में सभी श्रेणी के पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) / पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) के कुल सीटों एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना सं.- 961(6) दिनांक 14.07.1997 के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों के पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) के अन्तर्गत GNM / ANM पाठ्यक्रमों में 50% सीटों पर नामांकन के लिये चयन हेतु डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2024, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

2. पाठ्यक्रम-समूह :

2.1 पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) :

इस समूह में पॉलिटिकनिक संस्थानों के सभी अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PE होगा।

2.2 पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMM):

इस समूह में पारा मेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PMM होगा।

2.3 पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) :

इस समूह में सभी पारा मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PM होगा।

3. संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए संस्थानों/ पाठ्यक्रमों/ उपलब्ध सीटों के विवरण निम्नलिखित सारणियों में उपलब्ध हैं-

पाठ्यक्रम समूह	सारणी सं.	परिशिष्ट सं.
i. पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय)	1.1, 1.2	1
ii. पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय)	2.1	2
iii. पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)	3.1A, 3.1B, 3.1C 3.1D एवं 3.2	3

पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय) एवं पारा मेडिकल (माध्यमिक / इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम की पी.एम.एम/ पी.एम. सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त (पारा मेडिकल) संस्थानों में उपलब्ध सीटों की 50 प्रतिशत सीटों पर डी.सी.ई.सी.ई.-2024 के मेधाक्रम के आधार पर नामांकन होगा। बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की शिक्षा, सीटों की संख्या में फेर बदल होने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

4. पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें :

4.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम : अभियंत्रण (तीन वर्षीय)।

शैक्षणिक योग्यता : (क) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) जो आवेदक वर्ष 2024 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी पॉलिटिकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस परीक्षा के आधार पर प्रथम कॉउन्सेलिंग प्रारम्भ होने की तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

नोट : विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा विनिर्दिष्ट, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी आभातशिप (AICTE) के अन्य बन्धेज लागू किया जा सकता है।

4.2 आवासीय :-

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं, जो भारत वर्ष के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम-से-कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(i) जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार के स्थायी / मूल निवासी हैं।

(ii) जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार में निर्बंधित शरणार्थी (रिफ्यूजी) हैं।

(iii) जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।

(iv) जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों / संस्थानों के कर्मचारी हैं।

(v) जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं।

4.3 शारीरिक :-

प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सकीय जाँच करायी जायगी। चिकित्सकीय जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

4.4 आयु :-

अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदकों की कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है।

5. पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।

5.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम : ड्रेसर (परिधापक)।

शैक्षणिक योग्यता : माध्यमिक परीक्षा / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से दसवीं या अन्य समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। जो आवेदक वर्ष 2024 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5.2 आवासीय :-

कडिका 4.2 के समान।

5.3 शारीरिक :-

कडिका 4.3 के समान।

5.4 आयु :-

पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2024 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिये। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

6. पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।

6.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम :

- (i) डिप्लोमा-इन-फार्मसी (भारतीय भैषज्य परिषद की मान्यता संस्थान को प्राप्त होने की स्थिति में ही नामांकन किया जायेगा)।
- (ii) सैनिटरी इन्स्पेक्टर (स्वच्छता निरीक्षक)।
- (iii) ऑफथैलमिक असिस्टेंट (चक्षु सहायक)।
- (iv) ओ.टी. असिस्टेंट (शल्य गृह सहायक)
- (v) लेबोरेट्री टेकनीशियन (प्रयोगशाला प्रावैधिक)
- (vi) एक्स-रे टेकनीशियन (एक्स-रे प्रावैधिक)
- (vii) ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक।
- (viii) स्टाफ ग्रेड 'ए' नर्सिंग कोर्स (केवल महिलाओं के लिये)।
- (ix) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स (केवल महिलाओं के लिए)।
- (x) डेन्टल मैकेनिक्स।
- (xi) डेन्टल हाइजनिस्ट।

शैक्षणिक योग्यता :

(क) डिप्लोमा इन फार्मसी के लिए इंटरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण।

(ख) (i) जी.एन.एम. (ग्रेड-A जेनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी) कोर्स, जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिये 10+2 / 12th विज्ञान विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान) में कम-से-कम 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 / इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जी.एन.एम. नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(iii) ए.एन.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(ग) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, के लिए केवल 10+2/ इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों

के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ए.एन.एम. कोर्स के लिए 10+2 / इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए।

- (घ) शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक + 2 इंटरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हों वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्टैल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (ङ) डेंटल मेकेनिक्स एवं डेंटल हाईजिनिष्ठ कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के साथ **10+2 / इंटरमीडिएट साइन्स** उत्तीर्ण।
- (च) जो आवेदक वर्ष **2024** की **10+2 / इंटरमीडिएट** परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6.2 आवासीय :-

कडिका 4.2 के समान।

6.3 शारीरिक :-

कडिका 4.3 के समान।

6.4 आयु :-

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2024 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिये। जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए भी अधिकतम आयु की सीमा नर्सिंग कॉउन्सेल ऑफ इन्डिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष है। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

6.5 स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं ए.एन.एम.नर्सिंग पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिये आरक्षित है। इस पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार के नामांकन के समय, गर्भवती होने की स्थिति में उनका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन वे तत्काल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य नहीं होगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य होंगी। उन्हें सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षण के योग्य माना जाएगा। ऐसी उम्मीदवार निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य होंगी।

7. आरक्षण :

7.1 नामांकन हेतु चयन एवं तदुपरान्त प्रवेश के लिये बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक निर्धारित एवं लागू किये गये आरक्षण अधिनियम / नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।

7.2 (क) नामांकन हेतु चयन के लिये Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किये गये आरक्षण अधिनियम / नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

(ख) जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी निवासी (Permanent resident) हों उनके लिये प्रत्येक संस्थान में नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नीति [बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023] के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं :-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	20%
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	02%
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	25%
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	18%
5.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	10 %

शेष **25 %** अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।

नोट - * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ग) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में काँडिका 5(ख) में कर्णांकित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या- 11/आ0 विविध- 50/2011 सा० 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

(घ) **PMM / PM** पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु महिलाओं का आरक्षण : बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाचर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए शैक्षित रूप से आरक्षित रहेगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञतावार लागू होगा।

परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथोपेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

7.3 आवेदन-पत्र ऑन लाईन Submit करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।

7.4 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य [Unreserved (UR)] (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य [Unreserved (UR)] (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

7.5 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

(i) दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

(ii) इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

(iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि.प्रा.(11) नामांकन-01/2015-1675 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार राजकीय पॉलिटैकनिक, सहरसा, राजकीय पॉलिटैकनिक, गोपालगंज एवं नवीन राजकीय पॉलिटैकनिक, पटना-13 में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 सीटें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। जो उक्त संस्थानों के निर्धारित शाखाओं में समान रूप से वितरित होंगे।

7.5.1 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-4 पर अंकित निर्धारित चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा दिव्यांगता जाँच उपरांत निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र नामांकन के पूर्व Documents Verification के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट - उपरोक्त निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के PE/PM/PMM आदि संस्थानों में नामांकन हेतु ही मान्य होगा, अन्य किसी और प्रयोजन हेतु नहीं।

दिव्यांग कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो Permanent loss of limbs या Cerebral palsy से प्रभावित होने के कारण स्वयं लिखने में सक्षम नहीं हैं और उनके पास इस आशय का प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें ऑन लाईन आवेदन करते समय यथा स्थान श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने का अनुरोध करना आवश्यक होगा।

7.5.2 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। चिकित्सकीय जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस चिकित्सकीय जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा। [देखे परिशिष्ट-4(i) एवं 4(ii)]

ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-4 पर अंकित निर्धारित चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा दिव्यांगता जाँच उपरांत निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र नामांकन के पूर्व Documents Verification के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट - उपरोक्त निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के पारा मेडिकल/ पॉलिटैकनिक आदि संस्थानों में नामांकन हेतु ही मान्य होगा, अन्य किसी और प्रयोजन हेतु नहीं।

7.5.3 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि.प्रा.(11) व-07/2017/1231 दिनांक 09.04.2019 द्वारा संसूचित। AICTE (अभातशिप) की "शिक्षण शुल्क छूट" योजना के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के माता/ पिता (जिनके माता-पिता जीवित न हो उनके लिए अभिभावक) की वार्षिक आय रु. 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये से कम हो उनके लिए डिप्लोमा संस्थानों की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5% अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का प्रावधान है।

8. सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटैकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए आरक्षित सीटें।

8.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत / सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक पॉलिटैकनिक संस्थान में सीटें (सर्विसमैन कोटा) आरक्षित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 1647 दिनांक 08.06.2010 की कंडिका 3.(iii) को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट 4(iii) में देखें।

- 8.2** सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर नामांकन सिर्फ बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को ही दी जाएगी।
- 8.3** सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए आवेदकों द्वारा पॉलिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। यदि फिर भी **SMQ** की सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों को गुणागुण कोटि से भरी जायेगी।
- 8.4** सैनिक कर्मचारी कोटा की इन आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना प्रादेशात्मक (Mandatory) है।

(क) सेवारत सैनिक कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों के लिये :

- (i) जिला दंडाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक का संबंध और आश्रित प्रमाण पत्र।
- (ii) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत सेवारत सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवारत सैनिक कर्मचारियों के लिए) या जिला सैनिक पर्सनल (डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड) द्वारा निर्गत सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए)।
- (iii) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।

(ख) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

- (i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.
- (ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".
- (iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :
- (a) Pension Holders of the continuous embodied service.
- (b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
- (c) Family Pension Holders.
- (d) Gallantry Award Winners.

9. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर।

9.1 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे।

9.2 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

9.3 पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा की तिथि एवं अवधि / परीक्षा स्तर :

पॉलिटेकनिक अभियंत्रण PE, पारा मेडिकल PMM - (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल PM , (इंटरमीडिएट स्तरीय) समूहों के लिये अलग अलग प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रवेश सत्र-2024 में नामांकन हेतु सम्पन्न की जायेगी।

पाठ्यक्रम-समूहवार प्रश्न- पत्र एवं परीक्षा की अवधि तथा परीक्षा स्तर निम्नलिखित हैं-

(i) **प्रश्न पत्र - अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह (PE) :** अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	30	150
रसायन विज्ञान	30	150
गणित	30	150
	-----	-----
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय।)

(ii) प्रश्न पत्र - पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM): अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
सामान्य विज्ञान (भौतिक / रसायन/ जीव विज्ञान)	25	125
अंकगणितीय योग्यता	15	75
हिन्दी	15	75
अंग्रेजी	15	75
सामान्य ज्ञान	20	100
	-----	----
	90	450
	-----	----

(नोट : हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट स्तरीय एवं सामान्य विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता माध्यमिक स्तरीय।)

(iii) प्रश्न पत्र- पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMM): अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	20	100
रसायन विज्ञान	20	100
गणित	10	50
जीव विज्ञान	10	50
हिन्दी	10	50
अंग्रेजी	10	50
सामान्य ज्ञान	10	50
	-----	----
	90	450
	-----	----

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय।)

उपरोक्त परीक्षा की तिथियाँ विज्ञापन के माध्यम से दी जायेंगी।

9.4.1 अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE (माध्यमिक स्तरीय), पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM और पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMM में से जिन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों के लिये किसी आवेदक को अर्हता प्राप्त है, उन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों में से जितने पाठ्यक्रम समूह/ समूहों का उल्लेख उसने अपने मूल आवेदन पत्र के विहित स्थान पर किया है और तदनुसार कौडिका-10.1(ii)(c) में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, केवल उन्ही पाठ्यक्रम समूह/ समूहों से संबंधित प्रश्न पत्र/ प्रश्न पत्रों में वह परीक्षा दे सकेगा।

9.4.2 उपरोक्त कौडिका 9.4.1 के आलोक में आवेदकों की पात्रता के अनुसार उनके मूल आवेदन पत्र के विहित स्थानों पर उल्लिखित पाठ्यक्रम समूह / समूहों के लिए कौडिका 9.4 में दिये गये पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा तिथि एवं परीक्षा अवधि / परीक्षा स्तर के अनुसार प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों में उन्हें परीक्षा देनी होगी।

(क) जो आवेदक पॉलिटैकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह PE की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पॉलिटैकनिक (अभियंत्रण) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कौडिका 9.4.(i)।

(ग) जो आवेदक पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कौडिका 9.4.(ii)।

(घ) जो आवेदक पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMM की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कौडिका 9.4.(iii)।

9.4.3 मेधा सूची :

PE / PMM / PM पाठ्यक्रम समूहों के लिये निर्धारित प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम समूहवार / कोटिवार बनाई गई मेधा सूचियों से पाठ्यक्रमवार/ कोटिवार उपलब्ध सीटों को पात्रता प्राप्त आवेदकों द्वारा मेधा- सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा।

9.5 यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के कुल प्राप्तांक समान हों तो उनका मेधा क्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:

स्तर क्रम	पॉलिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय)	पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय)	पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (इंटरमीडिएट स्तरीय)
1. प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	गणित खंड में कुल प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	सामान्य विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
2. स्तर (1) समान होने पर	भौतिक विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	रसायन विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	अंक गणितीय योग्यता खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
3. स्तर (2) समान होने पर	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो

9.6 मेधा सूची/ परीक्षाफल तैयार करने में टंकण में या कम्प्यूटर से किसी प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

10. आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क :

10.1 आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क : DCECE (PE/PM/PMM)-2024 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पर्षद के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्षद के उक्त वेबसाइट पर जा कर "Online Application Portal of DCECE (PE/PM/PMM)-2024" Link पर Click कर "Apply Online" button पर click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

i. **Step-One (Registration) :**

इस परीक्षा हेतु Registration (निबंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्तेमाल कर रहें हों, क्योंकि Registration से संबंधित सभी सूचनाएँ उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये Mobile No. एवं email ID को सत्यापित करने हेतु उक्त दोनों पर अलग-अलग सत्यापन कोड (Verification Code) भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा Registration करने के क्रम में सत्यापन कोड (Verification Code) डालकर सत्यापित करना होगा। Mobile No. एवं email ID के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक Registration हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में Mobile No. एवं email ID का बदलाव नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक Registration हो जाने के बाद अभ्यर्थी के Registered Mobile No. एवं email ID पर सफलतापूर्वक Registration हो जाने की सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से Online भर कर जमा करने हेतु अपने Account में login करेंगे जिसके लिए वे अपना Registered email ID तथा Registration के क्रम में दिये गये Password को डालकर "Sign In" बटन पर click करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। Registration के क्रम में अभ्यर्थी अपने द्वारा दिये गये Password को गोपनीय रखें अन्यथा पर्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा।

ii. **Step-Two (Personal Information) :**

सफलतापूर्वक Registration कर पुनः अपने Account में Login करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Submit & Continue बटन पर Click करें।

iii. **Step-Three (Upload Photo & Signature) :**

Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटों एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Submit & Continue बटन पर Click करें।

iv. **Step-Four (Educational Information) :**

Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Submit & Continue बटन पर Click करें।

v. **Step-Five (Application Preview) :**

Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें। यदि जांच के क्रम में Step-Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview उपरान्त सारी सूचनाएँ सही पायी जाती है, तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया Step-Six अनुसार पूर्ण करें।

vi. **Step-Six (Payment of Examination Fee) :**

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

a. **Online Payment :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Online Option को Select कर क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

b. उपरोक्त विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;

- (क) किसी एक पाठ्यक्रम-समूह के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 750/- (सात सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 480/- (चार सौ अस्सी) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (ख) किन्ही दो पाठ्यक्रम-समूहों के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 850/- (आठ सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 530/- (पाँच सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (ग) सभी तीन पाठ्यक्रम-समूहों के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 950/- (नौ सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 630/- (छः सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

नोट : 1. यदि Examination / Counselling हेतु Fee के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से कट जाती है परन्तु शुल्क भुगतान विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप वांछित शुल्क का पुनः भुगतान करें। यदि आप Examination / Counselling Fee का भुगतान निर्धारित समय तक दुबारा नहीं करते हैं, तब आपका आवेदन पत्र अधूरा ही रह जायेगा और आप इस Examination / Counselling हेतु पात्रता-प्राप्त नहीं रहेंगे।

बैंक खाते से विफल भुगतान की राशि 6-7 कार्य दिवसों में आपके खाते में स्वतः Refund हो जायेगी।

2. Examination / Counselling हेतु Fee के भुगतान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाई / असुविधा के निवारण हेतु Online application portal पर उपलब्ध email ID : bangalorepgsd@billedesk.com पर email के माध्यम से अथवा Helpdesk phone no. 0612-2220230 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

vii. **Step-Seven (Download Part-A & Part-B) :** पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉउन्सेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

- नोट : (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉउन्सेलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।
- (b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।
- (c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को Refund / Chargeback का अनुरोध स्वीकार किया जायेगा।
- (d) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

- viii. (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 16.05.2024 से दिनांक 18.05.2024 तक दिया जाएगा।
- (ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो।
- (iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सकें एवं पुनः Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।

ix. **डी.सी.ई.सी.ई.-2024 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-**

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| (i) Online Registration Starting Date | : | 12.04.2024 |
| (ii) Online Registration Closing Date | : | 11.05.2024 |
| (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate . | : | 14.05.2024 |
| (iv) Online Editing of Application Form | : | 16.05.2024 to 18.05.2024 |
| (v) Uploading of Online Admit Card | : | 13.06.2024 |
| (vi) Proposed date of Examination | (I) PE | : 22.06.2024 |
| | (II) PM एवं PMM | : 23.06.2024 |

10.2 अपूर्ण रूप से भरा गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10.3 परीक्षा शुल्क एक बार स्वीकार कर लिये जाने पर स्वीकार की गई राशि किसी भी हालत में आवेदक/ क्रेता को नहीं लौटाई जायेगी।

11. आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश :


11.1 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम-समूह के विकल्प :

- (i) प्रत्येक आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जिन पाठ्यक्रम-समूहों के लिए परीक्षा देना चाहता है, और तदनुसार जिनके लिए उसने कंडिका 10 में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, उनका उल्लेख अपने आवेदनपत्र में विहित स्थान पर कर दे।
- (ii) यदि कोई आवेदक एक या एक से अधिक या सभी पाठ्यक्रम समूहों के लिये अर्हतायें / वांछित योग्यतायें (देखें कंडिका 4/ 5/

6) रखता है तो तदनुसार उसे उनमें से एक या एक से अधिक या सभी का उल्लेख अपने आवेदन पत्र के विहित स्थानों में करने और तदनुसार कडिका 10 में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क देने का विकल्प उपलब्ध है।

11.2 फोटोग्राफ :

- (क) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) निर्दिष्ट स्थानों पर पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) रंगीन उच्च कंट्रास्ट के एक ही निगेटिव / स्नैप (Snap) से बना ऐसे फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से स्कैन कर लगायें / चिपकायें जो सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो (डिजिटल फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल अथवा विलुप्त हो जाती है, लगाना वर्जित है)। उदाहरण के लिए नीचे का चित्र देखें ;



फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

- (ख) प्रयोग में लाये गये फोटोग्राफ में दोनो कान नजर आने चाहिए। फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए और उनको खिंचवाते समय टोपी (कैप) एवं काला / रंगीन चश्मा (डार्क कलर्ड स्पैक्टैकिल्स) नहीं लगा हो या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं हो, अन्यथा संबन्धित आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
- (ग) Downloaded आवेदन प्रपत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) पर निदेश के अनुसार फोटो चिपकाने के बाद, आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में करें। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वहस्तलिपि में लिखी गयी घोषणा के नीचे उनके पिता/ माता या अभिभावक की घोषणा के लिए उनका हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

11.3 नाम :

अपना नाम तथा पिता का नाम आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा संस्था/ विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड की वर्तनी (spelling) के अनुसार ही लिखें।

11.4 कोटि (Category) :

11.4.1 आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उचित कोटि निम्नलिखित संकेत के अनुसार भरें :

क्र.	कोटि (Category)	संकेत
i.	General Category (Unreserve) (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC/EWS में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	UR
ii.	Scheduled Caste	SC
iii.	Scheduled Tribe	ST
iv.	Extremely Backward Caste	EBC
v.	Backward Caste	BC
vi.	Economical Weaker Section	EWS

11.4.2 आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावा के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट / संस्थान के आवंटन हेतु मान्य होगी। एक बार अंतिम रूप से आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का कोटि परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र कॉउनसेलिंग के समय संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य [Unreserved (UR)] कोटि में समझा जायेगा। आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावा के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का होगा। यदि आवेदन प्रपत्र, पार्ट-A एवं पार्ट-B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

11.5 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) :

11.5.1 यदि आप कडिका 8 के अनुसार सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के लिये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित स्थान पर 'Yes' भरें अन्यथा 'No' भरें।

11.5.2 यदि 'सैनिक कर्मचारी कोटा' के लिये निर्धारित स्थान में आपने 'Yes' भरा है और आप सैनिक कर्मचारी के पुत्र / पुत्री हैं तो निर्धारित स्थान पर सम्बन्ध अंकित करें।

11.6 शैक्षणिक अर्हतायें :

आवेदन पत्र पार्ट-A की कंडिका 16 से 18 पर विवरण पुस्तिका की कंडिका- 4.1, 5.1 एवं 6.1 के अनुसार जो भी अर्हतायें आपके लिये लागू हों उनके लिये उत्तीर्ण परीक्षाओं का नाम तथा विषयवार प्राप्तांकों तथा प्रतिशत को भरें।

11.7 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो।

11.8 लिंग (Sex) :

निर्माकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

- i. Male (पुरुष)
- ii. Female (महिला)
- iii. Third gender (हिजड़ा)

नोट : सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-12722 दिनांक 12.09.2014 के आलोक में किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

11.9 आवासीय विवरण :

आवेदनपत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों (देखें कंडिका 4.2 / 5.2 / 6.2)।

11.10 घोषणा :

आवेदक के पिता / अभिभावक (यदि पिता जीवित न हों तो) तथा आवेदक के लिये निर्धारित अलग अलग घोषणा पत्र स्वहस्तलिपि में क्रमशः भरा एवं लिखा तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये। आवेदक को अपनी घोषणा आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वहस्तलिपि में लिखकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11.11 जिला कोड :

आवेदन पत्र के क्रमांक-15 में जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	20.	दरभंगा	20
2.	भोजपुर	02	21.	समस्तीपुर	21
3.	बक्सर	03	22.	मधुबनी	22
4.	रोहतास	04	23.	सहरसा	23
5.	भभुआ	05	24.	मधेपुरा	24
6.	नालन्दा	06	25.	सुपौल	25
7.	गया	07	26.	पूर्णिया	26
8.	नवादा	08	27.	कटिहार	27
9.	औरंगाबाद	09	28.	किशनगंज	28
10.	जहानाबाद	10	29.	अररिया	29
11.	सारण	11	30.	भागलपुर	30
12.	सिवान	12	31.	बांका	31
13.	गोपालगंज	13	32.	मुंगेर	32
14.	वैशाली	14	33.	बेगुसराय	33
15.	मुजफ्फरपुर	15	34.	खगड़िया	34
16.	सीतामढ़ी	16	35.	जमुई	35
17.	शिवहर	17	36.	लखीसराय	36
18.	पूर्वी चम्पारण	18	37.	शेखपुरा	37
19.	पश्चिमी चम्पारण	19	38.	अरवल	38
			39.	बिहार के बाहर	39
				अन्य सभी स्थान।	

उपरोक्त जिलों के कोड में से उचित कोड क्रमांक-15 के निर्धारित स्थान पर भरें। उचित कोड उसी जिले का होगा जिसमें वह स्कूल/ कॉलेज / संस्थान अवस्थित है, जहाँ से आवेदक ने शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की हो।

11.12 जाति प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के मूल आवेदन पत्र में अंकित आरक्षण कोटि के लिए सुसंगत होना चाहिए।

11.13 Online भरे गये आवेदन पत्र Part-A एवं Part-B की हार्ड कॉपी कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

12. आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना :

आवेदन पत्र पार्ट-A एवं पार्ट-B में अंकित की गई सूचनाओं में यदि साम्य नहीं होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित की गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

13. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया :

13.1 प्रवेश पत्र :

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: **bceceboard.bihar.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि उस पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ लें।

(ख) प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रवेश पत्र पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हर पाली में वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

13.2 परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। किसी भी हालत में निर्धारित परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त:

14.1 साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग :

(i) डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित सूचना उचित समय पर बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेबसाइट " **bceceboard.bihar.gov.in** " पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी। मेधा-सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा। कॉउन्सेलिंग Online अथवा Offline निर्णयानुसार सम्पन्न किया जायेगा।

(ii) चयनोपरान्त आवंटन-आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की आरंभिक तिथि तक लागू आरक्षण नियम के अनुसार निर्गत किया जायेगा। आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक चिकित्सकीय जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा।

(iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे।

14.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के समय कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी सम्बन्धित संस्थान द्वारा दे दी जायेगी।

14.3 उत्तर प्रपत्रों/ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा।

14.4 (क) जो आवेदक अपने मूल आवेदन पत्र/ प्रपत्रों में या परीक्षा के समय उत्तर पत्रक / उत्तर-पुस्तिका में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में असत्य विवरण / सूचना देंगे या अनुचित तरीके अपनाते पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं

करेंगे उनकी परीक्षा/ नामांकन हेतु आवंटन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

- (ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मोबाईल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उसकी / उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और उसके / उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उसे / उन्हें अगले तीन वर्षों तक पर्थद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित (Debar) कर दिया जायेगा।

14.5 ए.एन.एम पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों (केवल महिलाएँ) हेतु निर्देश :-

- (i) स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 435(6) दिनांक 10.06.1996 के अनुसार ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के अन्दर यदि सरकार समायोजित करती है तो उन्हें कम से कम पाँच वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा करने का शर्तनामा देना होगा, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम के दौरान हुए सरकारी खर्च सूद समेत वसूल किये जायेंगे। “स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 508 (प.नि., पी.एम.सी.) दिनांक 11.02.2012 के अनुसार न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण हैं।”
- (ii) चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच प्रत्येक वर्ष की जायेगी तथा उसका अभिलेख संधारित किया जायेगा।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को संक्रामक बीमारियों के प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकता है।
- (iv) प्रशिक्षण अवधि में निम्नांकित अवकाश देय होगा -
 - (क) वार्षिक अवकाश - 30 (तीस) दिन।
 - (ख) आकस्मिक अवकाश (एक वर्ष में) 10 दिन जो दूसरे वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा (ले जाया जायेगा)।
 - (ग) परीक्षा की तैयारी के लिये अवकाश-7 (सात) दिन।
- (v) वैसे प्रशिक्षणार्थी जो किसी लम्बी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गये हो तो उन उम्मीदवारों को पुनः प्रशिक्षण की अनुमति संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के उपरान्त ही दिया जायेगा।
- (vi) D.C.E.C.E.- (P.E./P.M.M./P.M)-2024 के आधार पर ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में सफल महिला उम्मीदवार अगर गर्भवती हो तो उसका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन तत्काल वह प्रशिक्षण के योग्य नहीं मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक/ प्राचार्य / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चि. पदाधि कारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में तभी सम्मिलित होने दिया जायेगा; जब वे उपरोक्त अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी। यह नियम उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो प्रशिक्षण के दौरान भी गर्भवती होगी।
- (vii) प्रशिक्षण की अवधि में सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा।
- (viii) सरकार के आदेशानुसार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

14.6 स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों (केवल महिलाएँ) हेतु निर्देश :-

- (i) स्वा. विभागीय संकल्प संख्या 435(6) दिनांक 10.06.1996 के अनुसार जी.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के अन्दर यदि सरकार समायोजित करती है तो उन्हें कम से कम पाँच वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा करने का शर्तनामा देना होगा, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम के दौरान हुए सरकारी खर्च सूद समेत वसूल किये जायेंगे।
- (ii) चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच प्रत्येक वर्ष की जायेगी तथा उसका अभिलेख संधारित किया जायेगा।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को संक्रामक बीमारियों विषयक प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकता है।
- (iv) प्रशिक्षण अवधि में निम्नांकित अवकाश देय होगा -
 - (क) वार्षिक अवकाश - 30 (तीस) दिन।
 - (ख) आकस्मिक अवकाश (एक वर्ष में) 10 दिन जो दूसरे वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा (ले जाया जायेगा)।
 - (ग) परीक्षा की तैयारी के लिये अवकाश-7 (सात) दिन।

- (v) वैसे प्रशिक्षणार्थी जो किसी लम्बी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गये हों, उन्हें पुनः प्रशिक्षण की अनुमति संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के उपरान्त ही दी जायेगी।
- (vi) D.C.E.C.E.– (P.E./P.M.M./P.M.)-2024 के आधार पर स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम में सफल महिला उम्मीदवार अगर गर्भवती हो तो उसका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन तत्काल वह प्रशिक्षण के योग्य नहीं मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्यलाभ-प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक/ प्राचार्य / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि. पदाधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में तभी सम्मिलित होने दिया जायेगा जब वे उपरोक्त अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। यह नियम उन सभी उम्मीदवारों पर भी लागू होगा जो प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती हों।
- (vii) प्रशिक्षण की अवधि में सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा।
- (viii) सरकार के आदेशानुसार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

15. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

- 15.1** परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 15.2** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 15.3** बिहार सरकार / बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस विवरण पुस्तिका में सम्मिलित नियमों / प्रावधानों / सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। संशोधित / परिवर्तित किये गये नियमों/ प्रावधानों / सूचनाओं से संबंधित जानकारी आवेदकों को उनके साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के समय या उसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।
- 15.4** (i) साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थी को इस विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में दर्ज सभी प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा प्रवेश पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार / काउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से एक भी वाँछित मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसे नामांकन से वंचित किया जा सकता है।
- (ii) कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद (Case) के अंतिम निर्णय होने तक आवेदक को नामांकन / प्रशिक्षण से वंचित रखा जायेगा और बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के पक्ष में निर्णय होने पर उम्मीदवार पर हुये सभी खर्च ब्याज के साथ उम्मीदवार से वसूल किया जा सकता है।
- (iii) विद्यालय/ महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र(School/ College Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।
- (iv) यदि अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल के अलावे किसी अन्य संस्थान से पात्रता- परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उसे काउन्सेलिंग की तिथि से दो महीनों के अन्दर प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- 15.5** (i) परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरांत निर्गत सभी निर्देश, पर्षद के वेबसाइट / समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम एवं संलग्न अनुसूची / सारिणी इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे।
- (ii) उत्तर पत्रक पर अंकित गद्यांश को परीक्षार्थी द्वारा अपनी हस्तलिपि में निर्धारित स्थान पर पूर्ण रूप से लिख कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 15.6** मेधा सूचियों में सम्मिलित आवेदकों को समय-समय पर पर्षद की वेबसाइट / समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र अपनी ओर से कृपया न लिखें क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 15.7** नामांकन-प्रक्रिया-समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 15.8** D.C.E.C.E. (P.E./P.M.M./P.M.)-2024 की विवरण पुस्तिका/ आवेदन पत्र/ अन्य प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 15.9** परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या इसमें ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 15.10** मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं काउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।
- 15.11** अगर कोई अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्प्रसोनेशन का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी।
- 15.12** इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

- 15.13** विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा पॉलिटिकल अभियंत्रण (PE) पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित तथा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) (PMM) एवं पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) (PM) पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित यदि कोई परिवर्तन / संशोधन / प्रावधान / दिशा निर्देश विधिवत संसूचित किया जाता है तो वह डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2024 की विवरण पुस्तिका में समावेशित समझा जायेगा और उसकी सूचना विज्ञापन द्वारा कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के पूर्व / समय दे दी जायेगी।
- 15.14** इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिये परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

sl.no.	Institution	Branch	Total	Category wise Distribution of Seats										Included SMQ in Total Seats	Addi- tional DQ Seats	5 % of Total additional Seats for Economically Backward Under TFW						
				UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total	DQ in Total Seats	E_UR			E_SC	E_ST	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Total	
44	G.P.TEXTILE TECH., NATHNAGAR, BHAGALPUR	FASHION AND CLOTHING TECHNOLOGY	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	0	1	1	0	0	1	0	3	
	G.P.TEXTILE TECH., NATHNAGAR, BHAGALPUR	GARMENT TECHNOLOGY	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	0	2	1	0	0	0	0	3	
	G.P.TEXTILE TECH., NATHNAGAR, BHAGALPUR	TEXTILE TECHNOLOGY	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	0	1	0	0	1	0	1	3	
	G.P.TEXTILE TECH., NATHNAGAR, BHAGALPUR TOTAL			300	120	48	4	54	35	9	30	300	15	5	0	8	2	0	3	1	1	15
G.P. Total			15450	6180	2472	154	2781	1854	464	1545	15450	773	229	75	387	123	8	139	93	23	773	
45	G.W.P.PATNA-14	COMPUTER Sc. & ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	0	1	0	1	1	0	0	3	
	G.W.P.PATNA-14	CIVIL ENGG	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	0	1	1	0	1	0	0	3	
	G.W.P.PATNA-14	ELECTRICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	0	2	1	0	0	0	0	3	
	G.W.P.PATNA-14	ELECTRONICS ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	0	2	0	1	0	0	0	3	
	G.W.P.PATNA-14	DIPLOMA IN ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	0	1	0	0	1	1	1	3	
	G.W.P.PATNA-14	MODERN OFFICE PRACTICE	30	12	5	0	6	3	1	3	30	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
	G.W.P.PATNA-14	LIBRARY& INFORMATION SCIENCE	30	12	4	1	5	4	1	3	30	2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	
	G.W.P.PATNA-14 Total			360	144	58	4	65	42	11	36	360	18	7	0	9	3	0	3	2	1	18
46	G.W.P.MUZAFFARPUR	COMPUTER Sc. & ENGG.	90	36	14	1	16	11	3	9	90	4	1	0	2	1	0	1	0	0	4	
	G.W.P.MUZAFFARPUR	CIVIL ENGG	90	36	15	0	17	11	2	9	90	5	1	0	3	1	0	1	0	0	5	
	G.W.P.MUZAFFARPUR	ELECTRICAL ENGG.	90	36	14	1	16	11	3	9	90	4	1	0	2	0	0	1	1	0	4	
	G.W.P.MUZAFFARPUR	ELECTRONICS ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	0	1	0	0	1	1	0	3	
	G.W.P.MUZAFFARPUR	FOOD PROCESSING & PRESERVATION	30	12	4	0	6	4	1	3	30	2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	
	G.W.P.MUZAFFARPUR Total			360	144	57	3	65	44	11	36	360	18	5	0	9	3	0	4	2	0	18
	G.W.P. Total			720	288	115	7	130	86	22	72	720	36	12	0	18	6	0	7	4	1	36

नोट : (i) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षणवार सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(iii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं (देखे कडिका-7.5)।

(iv) उपरोक्त सीटें अभातरशिप से अनुमोदन की प्रत्याशा में औपबन्धिक रूप से विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा भेजी गयी है।

(v) सैनिक कर्मचारी कोटा की आरक्षित सीटों पर, जो सम्बन्धित पाठ्यक्रम की कुल सीटों में सम्मिलित है, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर ही नामांकन निर्देशानुसार हो सकेगा ।

(vi) Economically Backward Under TFW के अन्तर्गत 5% दर्शायी गयी अतिरिक्त सीटें उन अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध हैं जिनके माता-पिता (जीवित नहीं पर अभिवावक) की वार्षिक आय 8-लाख रुपये से कम है (देखें कडिका-7.5.3)।

23

परिशिष्ट-1

सारणी 1.2 :- प्राईवेट पॉलिटेकनिक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी

sl.no.	Institution	Branch	TOTAL Seats
1	P.K.P. AURANGABAD	CIVIL ENGG	120
	P.K.P. AURANGABAD	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	P.K.P. AURANGABAD	ELECTRICAL ENGG.	60
	P.K.P. AURANGABAD	ELE & ELECTRONICS ENGG	60
	P.K.P. AURANGABAD	MECHANICAL ENGG	60
	P.K.P. AURANGABAD Total		360
2	G.M.C.P. HARNAUT,NALANDA	CIVIL ENGG	90
	G.M.C.P. HARNAUT,NALANDA	ELECTRICAL ENGG.	90
	G.M.C.P. HARNAUT,NALANDA	MECHANICAL ENGG	60
	G.M.C.P. HARNAUT,NALANDA	ELECTRONICS ENGG.	60
	G.M.C.P. HARNAUT,NALANDA	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	G.M.C.P. HARNAUT,NALANDA		360
3	GEMS POLY. COLLEGE, AURANGABAD	CIVIL ENGG	60
	GEMS POLY. COLLEGE, AURANGABAD	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	GEMS POLY. COLLEGE, AURANGABAD	ELECTRICAL ENGG.	60
	GEMS POLY. COLLEGE, AURANGABAD	MECHANICAL ENGG	60
	GEMS POLY. COLLEGE, AURANGABAD	ELE & ELECTRONICS ENGG	60
	GEMS POLY. COLLEGE, AURANGABAD TOTAL		300
4	J.P.I.T. NALANDA	CIVIL ENGG	120
	J.P.I.T. NALANDA	ELECTRICAL ENGG.	60
	J.P.I.T. NALANDA	MECHANICAL ENGG	120
	J.P.I.T. NALANDA		300
5	ARYABHATT POLYTECHNIC, GAYA	CIVIL ENGG	120
	ARYABHATT POLYTECHNIC, GAYA	ELECTRICAL ENGG.	60
	ARYABHATT POLYTECHNIC, GAYA	MECHANICAL ENGG	120
	ARYABHATT POLYTECHNIC, GAYA TOTAL		300
6	BUDHA POLY INST. GAYA	CIVIL ENGG	120
	BUDHA POLY INST. GAYA	ELECTRICAL ENGG.	120
	BUDHA POLY INST. GAYA	ELECTRONICS ENGG.	60
	BUDHA POLY INST. GAYA	MECHANICAL ENGG	120
	BUDHA POLY INST. GAYA TOTAL		420
7	JAMUI POLYTECHNIC, JAMUI	CIVIL ENGG	120
	JAMUI POLYTECHNIC, JAMUI	ELECTRICAL ENGG.	60
	JAMUI POLYTECHNIC, JAMUI	MECHANICAL ENGG	60
	JAMUI POLYTECHNIC, JAMUI TOTAL		240
8	NETAJI SUBHASH INST. OF POLY BIHTA	CIVIL ENGG	60
	NETAJI SUBHASH INST. OF POLY BIHTA	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	NETAJI SUBHASH INST. OF POLY BIHTA	ELECTRICAL ENGG.	60
	NETAJI SUBHASH INST. OF POLY BIHTA	MECHANICAL ENGG	120
	NETAJI SUBHASH INST. OF POLY BIHTA TOTAL		300
9	SITYOG INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD	CIVIL ENGG	150
	SITYOG INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD	COMPUTER Sc. & ENGG.	30
	SITYOG INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD	ELECTRICAL ENGG.	120
	SITYOG INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD	MECHANICAL ENGG	60
	SITYOG INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD TOTAL		360
10	JAMUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMUI	CIVIL ENGG	60
	JAMUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMUI	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	JAMUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMUI	ELECTRICAL ENGG.	60
	JAMUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMUI	MECHANICAL ENGG	60
	JAMUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMUI	ARTIFICIAL INTELIGENCE	60
	JAMUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMUI TOTAL		300
11	MAALIK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAYA	CIVIL ENGG	120
	MAALIK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAYA	ELECTRICAL ENGG.	120
	MAALIK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAYA	MECHANICAL ENGG	60
	MAALIK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAYA	MICROELECTRONICS AND VLSI	60
	MAALIK INSTITUTE OF TECHNOLOGY TOTAL		360
12	S.N.S. VIDYAPEETH, MOTIHARI	CIVIL ENGG	60
	S.N.S. VIDYAPEETH, MOTIHARI	ELECTRICAL ENGG.	90
	S.N.S. VIDYAPEETH, MOTIHARI	MECHANICAL ENGG	60
	S.N.S. VIDYAPEETH, MOTIHARI	COMPUTER Sc. & ENGG.	90
	S.N.S. VIDYAPEETH, MOTIHARI	EV-TECHNOLOGY	30
	S.N.S. VIDYAPEETH, MOTIHARI	RENEWABLE ENERGY	30
	S.N.S. VIDYAPEETH TOTAL		360
13	M.P.S. POLYTECHNIC COLLEGE, MUZAFFARPUR	ARTIFICIAL INTELIGENCE	60
	M.P.S. POLYTECHNIC COLLEGE, MUZAFFARPUR	CIVIL ENGG	60
	M.P.S. POLYTECHNIC COLLEGE, MUZAFFARPUR	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	M.P.S. POLYTECHNIC COLLEGE, MUZAFFARPUR	ELECTRICAL ENGG.	60

sl.no.	Institution	Branch	TOTAL Seats
	M.P.S. POLYTECHNIC COLLEGE, MUZAFFARPUR	MECHANICAL ENGG	60
	M.P.S. POLYTECHNIC COLLEGE, MUZAFFARPUR TOTAL		300
14	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR	ARTIFICIAL INTELIGENCE	60
	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR	CIVIL ENGG	60
	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR	ELECTRICAL ENGG.	60
	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR	ELECTRONICS ENGG.	60
	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR	MECHANICAL ENGG	60
	M. COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MUZAFFARPUR TOTAL		360
15	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI	ARTIFICIAL INTELIGENCE	60
	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI	CIVIL ENGG	60
	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI	COMPUTER Sc. & ENGG.	60
	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI	ELECTRICAL ENGG.	60
	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI	ELECTRONICS ENGG.	60
	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI	MECHANICAL ENGG	60
	RAJEEV COLLEGE OF PROFESSINAL EDUCATION, SITAMARHI TOTAL		360
16	MAMTA INSTITUTE OF EDUCATION, SIWAN	ARTIFICIAL INTELIGENCE	60
	MAMTA INSTITUTE OF EDUCATION, SIWAN	CIVIL ENGG	180
	MAMTA INSTITUTE OF EDUCATION, SIWAN	ELECTRICAL ENGG.	60
	MAMTA INSTITUTE OF EDUCATION, SIWAN	MECHANICAL ENGG	60
	MAMTA INSTITUTE OF EDUCATION, SIWAN TOTAL		360
SUB TOTAL			5340

नोट : (i) संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षणवार सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायगा।

(ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं (देखे कॉडिका-7.5)।

(iii) उपरोक्त सीटें अभातशिप से अनुमोदन की प्रत्याशा में औपबन्धिक रूप से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा भेजी गयी हैं।

परिशिष्ट - 2

पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय)

सारणी 2.1 :- पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सीटों की विवरणी

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

INSTITUTE	BRANCH	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules									DQ
		Total	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P.M.C.H, PATNA	DRESSER	30	12	3	5	0	5	4	1	30	2
N.M.C.H., PATNA	DRESSER	30	12	3	5	0	5	4	1	30	1
D.M.C.H. LAHERIASARAI	DRESSER	30	12	3	4	0	6	4	1	30	1
S.K.M.C.H., MUZAFFARPUR	DRESSER	30	12	3	5	0	5	4	1	30	1
A.N.M.M.C.H. GAYA	DRESSER	30	12	3	5	1	5	3	1	30	1
J.L.N.M.C.BHAGALPUR	DRESSER	30	12	3	5	0	5	4	1	30	1
B.M.I.M.S. PAWAPURI, NALANDA	DRESSER	30	12	3	4	1	6	4	0	30	1
G.M.C., BETTIAH	DRESSER	35	14	4	6	0	6	4	1	35	2
G.M.C. PURNEA	DRESSER	5	2	0	1	1	1	0	0	5	0
UNDER CIVIL SURGEON, PATNA	DRESSER	5	2	1	0	0	1	1	0	5	1
UNDER CIVIL SURGEON, GAYA	DRESSER	5	2	0	1	0	1	1	0	5	1
UNDER CIVIL SURGEON, BHOJPUR (ARA)	DRESSER	5	2	1	0	0	1	1	0	5	1
UNDER CIVIL SURGEON, BHAGALPUR	DRESSER	5	2	0	1	0	1	0	1	5	1
UNDER CIVIL SURGEON, MUNGER	DRESSER	5	2	1	1	0	1	0	0	5	0
UNDER CIVIL SURGEON, SAHARSA	DRESSER	5	2	1	1	0	1	0	0	5	0
UNDER CIVIL SURGEON, MUZAFFARPUR	DRESSER	5	2	0	1	0	1	0	1	5	0
UNDER CIVIL SURGEON, DARBHANGA	DRESSER	5	2	1	1	0	1	0	0	5	0
UNDER CIVIL SURGEON, SARAN	DRESSER	5	2	0	1	0	1	1	0	5	1
UNDER CIVIL SURGEON, MADHEPURA	DRESSER	5	2	0	1	0	1	1	0	5	0
P.M.I. SDH HATHWA, GOPALGANJ	DRESSER	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL, ARWAL	DRESSER	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL E.CHAMPARN	DRESSER	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
P.M.I. SARANGPUR, BHABHUA	DRESSER	60	24	6	9	1	10	8	2	60	3
P.M.I. REFERRAL HOSPITAL GHOSI, JEHANABAD	DRESSER	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL KATI HAR	DRESSER	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL W. CHAMPARAN	DRESSER	30	12	3	4	0	6	4	1	30	2
DRESSER TOTAL		690	276	69	110	7	124	83	21	690	35

नोट : (i) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(iii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1A :- पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों की A.N.M. पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी
(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

SL	INSTITUTE	Branch	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules									
			Total	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	DQ
			Seat	4		5	6	7	8	9	10	11
1	A.N.M. SCHOOL, BHOJPUR	A.N.M.	90	36	9	14	1	16	11	3	90	4
2	A.N.M. SCHOOL, BIHARSHARIF	A.N.M.	100	40	10	16	1	18	12	3	100	5
3	A.N.M. SCHOOL, BARH	A.N.M.	50	20	5	8	1	9	6	1	50	3
4	A.N.M. SCHOOL, PURNEA	A.N.M.	50	20	5	8	0	9	6	2	50	3
5	A.N.M. SCHOOL, KISHANGANJ	A.N.M.	50	20	5	8	1	9	6	1	50	3
6	A.N.M. SCHOOL, BEGUSARAI	A.N.M.	50	20	5	8	0	9	6	2	50	2
7	A.N.M. SCHOOL, MADHUBANI	A.N.M.	90	36	9	14	1	16	11	3	90	5
8	A.N.M. SCHOOL, HAJIPUR VAISHALI	A.N.M.	50	20	5	8	1	9	6	1	50	3
9	A.N.M. SCHOOL, SITAMARHI	A.N.M.	50	20	5	8	0	9	6	2	50	2
10	A.N.M. SCHOOL, MOTIHARI	A.N.M.	90	36	9	15	1	16	11	2	90	4
11	A.N.M. SCHOOL, BETTIAH	A.N.M.	70	28	7	11	1	13	8	2	70	3
12	A.N.M. SCHOOL, CHAPRA (SARAN)	A.N.M.	90	36	9	14	1	16	11	3	90	4
13	A.N.M. SCHOOL, KATIHAR	A.N.M.	50	20	5	8	1	9	6	1	50	2
14	A.N.M. SCHOOL, PATNA CITY	A.N.M.	100	40	10	16	1	18	12	3	100	5
15	A.N.M. SCHOOL, HATHWA, GOPALGANJ.	A.N.M.	30	12	3	5	0	5	4	1	30	2
16	A.N.M. SCHOOL, SAHARSA	A.N.M.	50	20	5	8	1	9	6	1	50	3
17	A.N.M. SCHOOL, MUZAFFARPUR	A.N.M.	90	36	9	14	1	16	11	3	90	4
18	A.N.M. SCHOOL, BHAGALPUR	A.N.M.	100	40	10	16	1	18	12	3	100	5
19	A.N.M. SCHOOL, SAMASTIPUR	A.N.M.	50	20	5	8	0	9	6	2	50	3
20	A.N.M. SCHOOL, GAYA	A.N.M.	100	40	10	16	1	18	12	3	100	5
21	A.N.M. SCHOOL, MUNGER	A.N.M.	30	12	3	5	0	6	3	1	30	2
22	A.N.M. SCHOOL, ISLAMPUR, NALANDA	A.N.M.	40	16	4	7	0	7	5	1	40	2
23	A.N.M. SCHOOL, SHEOHAR	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3

SL	INSTITUTE	Branch	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules									
			Total	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	DQ
			Seat	4		5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
24	A.N.M. SCHOOL, KHAGARIA	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
25	A.N.M. SCHOOL, LAKHISARAI	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
26	A.N.M. SCHOOL, LAKSHMIPUR, JAMUI	A.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
27	A.N.M. SCHOOL, RAJAUJI, NAWADA	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
28	A.N.M. SCHOOL, DAUDNAGAR, AURANGABAD	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
29	A.N.M. SCHOOL, MAIRWA, SIWAN	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
30	A.N.M. SCHOOL, BHABHUA, KAIMUR	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
31	A.N.M. SCHOOL, TRIVENIGANJ, SUPAUL	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
32	A.N.M. SCHOOL, JAAL, DARBHANGA	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	8	1	60	3
33	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL TARAPUR, MUNGER	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
34	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL JANJARPUR, MADHUBANI	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
35	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL BAINEPUR, DARBHANGA	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
36	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL DALSINGSARAI, SAMASTIPUR	A.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
37	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL PATORI, SAMASTIPUR	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
38	A.N.M. TRAINING SCHOOL, NEAMCHAK BATHANI SUBDIVISION, GAYA	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
39	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL JAGDISIPUR, BHOJPUR	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
40	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL FARBISGANJ, ARARIA	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
41	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL MANIHARI, KATIHAR	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
42	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL JAYANAGAR MADHUBANI	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	8	1	60	3
43	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL BANMANKHI, PURNEA	A.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
44	A.N.M. TRAINING SCHOOL, SUB DIVISIONAL HOSPITAL SONPUR, SARAN	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
45	A.N.M. SCHOOL, NARKATIAGANJ, W. CHAMPARAN	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
46	A.N.M. SCHOOL, BAGHA, W. CHAMPARAN	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
47	A.N.M. SCHOOL, SIKARHANA, E. CHAMPARAN	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
48	A.N.M. SCHOOL, CHAKIYA, E. CHAMPARAN	A.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
49	A.N.M. SCHOOL, ARERAJ, E. CHAMPARAN	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
50	A.N.M. SCHOOL, BELSAND, SITAMARHI	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3

SL	INSTITUTE	Branch	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules									
			Total	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	DQ
			Seat	4		5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
51	A.N.M. SCHOOL, MAHANAR, VAISHALI	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
52	A.N.M. SCHOOL, MAHUA, RAJAPAKAR, VAISHALI	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
53	A.N.M. SCHOOL, BENIPATTI MADHUBANI	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
54	A.N.M. SCHOOL, BIROUL, DARBHANGA	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
55	A.N.M. SCHOOL, ROSRA, SAMASTIPUR	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
56	A.N.M. SCHOOL, BIRPUR, SUPAUL	A.N.M.	60	24	6	9	1	10	8	2	60	3
57	A.N.M. SCHOOL, NIRMALI, SUPAUL	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
58	A.N.M. SCHOOL, SUKHPUR, SUPAUL	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
59	A.N.M. SCHOOL, SIMARI BAKHTIYAPUR, SAHARSA	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
60	A.N.M. SCHOOL, UDAKISHANGANJ, MADHEPURA	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
61	A.N.M. SCHOOL, BARSHOI, KATI HAR	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
62	A.N.M. SCHOOL, KAHALGAON, BHAGALPUR	A.N.M.	60	24	6	9	1	10	8	2	60	3
63	A.N.M. SCHOOL, BAKHARI, BEGUSARAI	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
64	A.N.M. SCHOOL, BALIA, BEGUSARAI	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
65	A.N.M. SCHOOL, GOGARI, KHAGARIA	A.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
66	A.N.M. SCHOOL, HAWELI KHARAGPUR, MUNGER	A.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
67	A.N.M. SCHOOL, ARWAL SADAR, ARWAL	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
68	A.N.M. SCHOOL, SHERGHATI, GAYA	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
69	A.N.M. SCHOOL, TIKARI, GAYA	A.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
70	A.N.M. SCHOOL, BIKARAMGANJ, ROHTAS	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
71	A.N.M. SCHOOL, PIRO, BHOJPUR	A.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
72	A.N.M. SCHOOL, BAIKUNTHPUR, GOPALGANJ	A.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
73	A.N.M. SCHOOL, MADHORA, SARAN	A.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
	Total		4530	1812	453	725	45	815	544	136	4530	227

नोट : (i) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(iii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।

(iv) भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1B :- पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए निजी संस्थानों में A.N.M. पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी
(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

SL	INSTITUTE	BRANCH	TOTAL (UR)
1	Aayushman Nursing Training Institute, Sriram Nagar, Bhagwanpur, Muzaffarpur	A.N.M.	20
2	Akash Nursing Training Institute Near baba dhram kanta Golamber, Machhatapul, Buxar	A.N.M.	10
3	Ambedkar Inst. Of Higher Education ANM School, Own campus Chhitnawa, Danapur Patna	A.N.M.	30
4	Ambedkar College of Education Dalmiya Nagar Dehri, Rohtas	A.N.M.	20
5	Anju Institute of Nursing Science Islampur, Nalanda	A.N.M.	10
6	Bhavya Shree institute of Nursing ANM Training School, Bhagwat Nagar, Kumhrar, Patna	A.N.M.	30
7	Budha Inst. Of Health Education ANM Training School, Singra Asthan, Police Line, Gaya	A.N.M.	20
8	Chapra ANM Nursing School, Rauja, Vishanpura By Pass Main Road, Chapra Saran	A.N.M.	10
9	Patel School of Nursing, Raja Bazar, Jehanabad	A.N.M.	30
10	D.P. Singh Inst. Of Education Gautam Nagar, Shahpur Bhaganbigha Rahui, Bihar Sharif, Nalanda	A.N.M.	10
11	Daksh School of Nursing and Hospital, Bank Road, Chetnapuri, Daroda, Maharajganj, Siwan	A.N.M.	15
12	Darbhang Nursing School Shivdhara, LNM University Campus, Darbhanga	A.N.M.	20
13	Dhanarua School of Nursing and Paramedics, Ebrahimpur Awadhara, Pavery, Dhanarua, Patna	A.N.M.	20
14	Dr. Nesar Haider Institute of Nursing Science's, Sakri, Taluk Pandalu, Madhubani	A.N.M.	10
15	GM Parmaedical College, Pipra Dodraj, Nonpur, Teghara, Begusarai	A.N.M.	20
16	Gautam Institute of Nursing and paramedics, Bhaganbigha, Rahui, Bihar Sharif, Nalanda	A.N.M.	25
17	Gautam Institute of Nursing, Chandhi Hilsa Road, Jaitpur Tharthari, Chandhi, Hilsa, Nalanda	A.N.M.	10
18	Himalaya institute of Higher Education, Khemnichak, Subash Nagar, Patna	A.N.M.	100
19	Hirawati ANM Training School, Bagdulhan D.A.V. Campus, Hajipur, Vaishali	A.N.M.	20
20	Khawaja Garib Nawaj School of Nursing Saidnagar, Laheriasarai, Darbhanga	A.N.M.	30
21	Kingway Technical Institute ANM School GT Road, Kulharia, Karmnasha Durgawati Kaimur, Bhabhua	A.N.M.	15
22	MGM College of Nursing and Paramedical, Azad Nagar Chiraura, Patna	A.N.M.	20
23	Maa Mundeshwari Para Medical and Nursing Training Sansthan Podar, Sohnan, Kaimur	A.N.M.	15
24	Manorama Devi Sikaria ANM Training School, Radha Nagar, Nacckched Tola, Motihari	A.N.M.	20
25	Maa Bhagwati ANM Training School, Ward no. 16, Kotwali Chowk, Madhubani	A.N.M.	10
26	Maharishi Dayanand Institute of Nursing Horalpatti, Laheriasarai, Darbhanga	A.N.M.	10
27	Mata Sushila Institute of Education, Hilsa Saiyad bahri, Nalanda	A.N.M.	20
28	Maa Kanti School of Nursing Mohammadpur, Fathuha Patna.	A.N.M.	15
29	Mona School of Nursing, Trilok Nagar, Agamkuan, Patna	A.N.M.	20
30	Mother Teresa School of Nursing 2nd Floor Mamta, Hospital Bihar Sharif Nalanda	A.N.M.	20
31	Mother Teresa Nursing School, Mongra Fatak dalan, Katihar.	A.N.M.	20
32	Naina Nursing Training Institute, Madhaul Kudhani, Muzaffarpur	A.N.M.	20
33	Nalanda Nursing School, Dinkar Nagar, Rajgir Road Nalanda	A.N.M.	20
34	National Institute of Health Education & Research, IDH Colony, Gulzarbagh, Patna	A.N.M.	20
35	National Inst. Of Nursing and Paramedical science, Chandhi Nalanda	A.N.M.	10
36	Om Sai Shiv Nursing College, Chhoti Aghu, Mohan Aghu, Begusarai	A.N.M.	15
37	Paras ANM Training School, Lalapur, Kuda, Kaimur	A.N.M.	15
38	Parmarth institute of Nursing Education Shiv Sagar, Station Road, Sasaram Rohtas	A.N.M.	15
39	Patliputra ANM & GNM Training School Khemnichak, Subash Nagar, Patna	A.N.M.	15
40	Patliputra Inst. Of Nursing Training Ashiyana Nagar Phase-2 bailey road Patna.	A.N.M.	15
41	Prameela Aadhar ANM Training School Satapur, Ujeyarpur, Samastipur	A.N.M.	15
42	Patna Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Brahampur, Jaganpura, Patna	A.N.M.	20
43	R.B. Memorial School of Nursing, R.S. Tank, Darbhanga	A.N.M.	25
44	R.P. Singh Memorial Nursing College, Ayush Hospital I.O.C. Road, Sipara, Patna	A.N.M.	20
45	Rup Bala Memorial ANM Training Centre, Nageswar Nagar, Dumra, Sitamarhi	A.N.M.	15
46	Sanjeevani Arogya Sanstha ANM Training School, Govindpur, Fathuha, Patna	A.N.M.	10
47	Saroj Nursing Institute Race Course Chakkar Maidan, Mushahari, Muzaffarpur	A.N.M.	15
48	Sarvoday Institute of Nursing and Paramedical, Darawa Post Mohania, Kaimur	A.N.M.	15
49	Sadhu Sharan Singh Institute of Health Education, Sir Ganesh Datt Nagar, Bhagwanpur, Muzaffarpur	A.N.M.	15
50	Shershah Medical Research & Nurses Training Sansthan, Takiya, Sasaram, Rohtas	A.N.M.	20
51	Shivam College of Higher Studies Nursing, Fulwaria, Raikatpur, Patna	A.N.M.	20

SL	INSTITUTE	BRANCH	TOTAL (UR)
52	Shri Bhagwat Prasad Singh Memorial ANM Training School, Deo More Madanpur, Aurangabad.	A.N.M.	20
53	Shyam Lal Chandra Shekhar Nursing School Parmanandpur, Khagaria	A.N.M.	20
54	Subhwanti Institute of Health Education,Ramdeo Nagar Mahadeva Siwan	A.N.M.	15
55	Swami Vivekanand Nursing School Madhav Chakai Road Simultalla, Jamui	A.N.M.	20
56	Vivekanand ANM Training School, Kendui, Gaya	A.N.M.	15
57	Vidya College of Professional Studies ANM, Rasulpur, Sampatchak, Patna	A.N.M.	20
58	Yamuna Institute of Nursing Bishanpur, Multispeciality hospital Campus, Begusarai	A.N.M.	20
59	Patel School of Nursing, Anjanpur Colony,70 fit, BPCL road, Patna	A.N.M.	30
60	Raj Kumari Training School, Handlum Bhawan, Rajendra Nagar, Patna	A.N.M.	30
61	S.R.T. Memorial ANM Training School, Bhilai Road, Arrah (Bhojpur)	A.N.M.	30
62	Yogendra Institute of Nursing, Anaith, Arah	A.N.M.	10
63	Doon Institute of Nursing ANM Training School, Dodhi Anandkar Kudhani, Muzaffarpur	A.N.M.	30
64	Shivam Higher Education Foundation ANM Training School Kajha, Purnea	A.N.M.	30
65	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences Rahimpur Rudauli, Samastipur	A.N.M.	30
66	Saran Nursing Institute Sonho, Saran	A.N.M.	20
67	AIHE Professional Institute, Jamsaut, R.K. Puram road, (mathiyapur more) Danapur Patna.	A.N.M.	30
68	Pandit Deen Dayal Nursing School Chanp Pachrukhi road, Hussainganj, Siwan	A.N.M.	30
69	B.S. Institute of Nursing and Paramedical Science, Madhuban, Madhepura	A.N.M.	30
70	Raj Aryan Nursing and Paramedical College (ANM Nursing School) Mohaddipur, Nalanda	A.N.M.	30
71	Modern Institute of Nursing, Dahua, Bounsi, Banka	A.N.M.	30
72	Nutan College of Nursing, Dhanhara, Manik Chowk, Sitamarhi.	A.N.M.	30
73	Benipur Nursing Training Sansthan, Benipur, Darbhanga.	A.N.M.	30
74	Shyam School of Nursing, Karona, Jehanabad	A.N.M.	25
75	Nazma Institute of Nursing Education, Pipara Khas, Mirganj, Gopalganj	A.N.M.	25
76	Mahavir Nursing School, Lasgaripur, kanti, Muzafarpur	A.N.M.	25
77	S.N.S. Institute of Nursing Sciences, Motihari, East Champaran.	A.N.M.	25
78	RRP School of Nursing, Dalmiyanagar, Sasaram, Rohtas	A.N.M.	25
79	Vaidhnath College of Education Saur Chandipur, Warshaliganj, Nawada	A.N.M.	30
80	Nazirul Hassan Institute of Higher Education, Sonihar Khagaria.	A.N.M.	28
81	Chandargupt Maurya College of Educational Kalabhagawanpur, sadisopur Sarasat, Patna.	A.N.M.	28
82	K.R. ANM Institute of Nursing, Kashibazar, Chapara (Saran)	A.N.M.	25
83	Shakuntala Nursing and Paramedical Institute (ANM training School) Daulatganj, Chhapra, Saran	A.N.M.	30
84	Gyanjyoti School of Nursing kalpatru Bhawan, Alpati, Darbhanga	A.N.M.	20
85	DPS School of Nursing, Dubhal, Chandchaura, Gaya	A.N.M.	30
86	Mitra ANM Training School Kaiya Budhgare Muffasil, Gaya	A.N.M.	24
87	Bihar Institute of Nursing and Para Medical Jaitipur, Neora Patna.	A.N.M.	15
88	Dhano Devi ANM Nursing training School Batragibag, Jehanabad	A.N.M.	15
89	Sheikhpura Institute of Nursing and Paramedical Science, Sheikhpura	A.N.M.	30
90	The Guidance Nursing Institute and Allied Science's Kankarbagh, Patna.	A.N.M.	20
91	Shree Balajee Nursing Training School, Kundalpur, Medhi, Nalanda	A.N.M.	28
92	Savitri Nursing Training School, N.H.-82 Rame, Nadariganj, Nawada	A.N.M.	28
93	R.G. College of Education, Chackbakhari, Madhopur, Ram, Vaishali	A.N.M.	30
94	Trivaini College of Education, Kunti Nagar, Nawada	A.N.M.	30
95	R.S. Institute of Nursing Science and Paramedical, Dhawalpura West By Pass Road, Patna	A.N.M.	20
96	K.K. Institute of Nursing (ANM Training School) Berouti, Nepura, Biharsharif, Nalanda	A.N.M.	30
97	Nawada College of Nursing, Ashok Nagar, Nawada	A.N.M.	30
98	Rajgir ANM Nursing School, Rajgir, Nalanda	A.N.M.	20
99	Mirganj Nursing School and Training Institute, Harkhouli, Mirganj, Gopalganj	A.N.M.	30
100	R.B. Chandra Medical Reserarch and Nursing Institute, Jamui	A.N.M.	30
101	Ramakanti Nursing Training School (ANM Training School) Shahwajpur, Tekari, Gaya	A.N.M.	25
102	Vivekanand School of Nursing and Paramedical, Khagoul, Patna	A.N.M.	30
103	Magadh ANM Training School, Anand Bihar Sobhiya Akabarpur, Nawada.	A.N.M.	30
104	Aryabhat Institute of Nursing and paramedical, Ashiyana, Digha Road, Patna.	A.N.M.	30
105	Pinak ANM School of Nursing and Paramedical College, Arawan ben Parwalpur, Nalanda	A.N.M.	30
106	Bala Jee Nursing School, Aadarsh Nagar, Samastipur	A.N.M.	30
107	Anushka ANM Training School, Lakhisarai	A.N.M.	30

SL	INSTITUTE	BRANCH	TOTAL (UR)
108	Raj ANM Training School, Bawan Bigha, Konhouli, Muzaffarpur	A.N.M.	30
109	S.A. Institute of Nursing, Sikandara, Silaw Road, Nalanda	A.N.M.	30
110	Satyandaram Nursing Institute of ANM, Beladih, Madhodih, Harpur, Munger	A.N.M.	23
111	Jagdamba ANM Nursing School, Adarsh Nagar, Samastipur	A.N.M.	30
112	Madhubani Institute of Nursing and Paramedical Science, Madhubani	A.N.M.	30
113	Maitre ANM Nursing Training Institute, Gandhi Nagar, Patna	A.N.M.	25
114	Subhadra Devi School of Nursing, SDO, Hajipur Road Vaishali	A.N.M.	25
115	Bhagalpur Institute of Nursing, Daudwat Near Gosala, Bhagalpur	A.N.M.	20
116	Kalami Institute of Nursing, Barhukurwa, Simari Bakhtiyarpur, Saharsa	A.N.M.	30
117	Katihar ANM Nursing Training School, Near KMCH, Bhariya Rahika, Dalan, Katihar	A.N.M.	30
118	S.K. Global School of Health Science NH-28 Harishankar, Maniyari, Shilout, Muzaffarpur	A.N.M.	30
119	Nwarang Prabhunath Institute of Nursing and Hospital, Shemariya, Nawtan, Siwan	A.N.M.	23
120	Ledar Institute of Higher Education, Rahimpur Rudouli, Harpur Alouth, Muffasil, Samastipur	A.N.M.	30
121	Krishna Institute of Higher Education, , Murliganj, Madhepura	A.N.M.	30
122	S.K.M.Nursing School, Indranagar, Bairiya, Wazirganj, Gaya	A.N.M.	30
123	Himalaya College of Nursing, Chikshi, Paliganj, Patna	A.N.M.	30
124	Shree Raj Nursing ANM Training Institute, New Bangali Tola, Bus Stand, Jakanpur, Patna.	A.N.M.	30
125	ANM Nurses Training Centre, LCT Ghat Mainpura, Patna.	A.N.M.	15
126	Tripolia School of Nursing, Tripolia Social Service Hospital, Gulzarbagh, Alamganj, Patna.	A.N.M.	10
127	Ambedkar Institute of Education, Durgadih, Bikramganj, Rohtas	A.N.M.	30
128	Gems School of Nursing Sikaria, Indrapur, Dehri on Sone, Rohtas.	A.N.M.	15
129	Budha Institute of Health Education, Beldar Bigha, Goroura Chabilapur, Nalanda	A.N.M.	20
	A.N.M. Total		2997

नोट :

- (i) सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कारुन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
- (ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
- (iii) भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

32

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1C :- पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों में G.N.M. पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

SL	INSTITUTE	Branch	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules									
			Total	UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	DQ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GNM TRAINING SCHOOL P.M.C.H., PATNA	G.N.M.	66	26	7	10	1	12	8	2	66	3
2	GNM TRAINING SCHOOL N.M.C.H., PATNA	G.N.M.	66	26	7	10	1	12	8	2	66	3
3	GNM TRAINING SCHOOL D.M.C.H. DARBHANGA	G.N.M.	50	20	5	8	0	9	6	2	50	3
4	GNM TRAINING SCHOOL S.K.M.C.H., MUZAFFARPUR	G.N.M.	66	27	6	11	1	12	7	2	66	3
5	GNM TRAINING SCHOOL A.N.M.M.C.H. GAYA	G.N.M.	45	18	5	7	0	8	6	1	45	2
6	GNM TRAINING SCHOOL J.L.N.M.C.BHAGALPUR	G.N.M.	75	30	7	12	1	14	9	2	75	4
7	GNM SCHOOL, SASARAM	G.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
8	GNM SCHOOL, JEHANABAD	G.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
9	GNM SCHOOL, SHEIKHPURA	G.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
10	GNM SCHOOL, SAHARSA	G.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
11	G.N.M. SCHOOL, BANKA	G.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
12	GNM TRAINING SCHOOL, BETTIAH, W.CHAMPARAN	G.N.M.	40	16	4	7	0	7	5	1	40	2
13	G.N.M. TRAINING SCHOOL, BUXAR	G.N.M.	50	20	5	8	1	9	6	1	50	3
14	G.N.M. SCHOOL, CHC, RAJAPAKAR, VAISHALI	G.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
15	G.N.M. SCHOOL, SADAR HOSPITAL, E. CHAMPARAN	G.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
16	G.N.M. SCHOOL, RAGHOPUR BALAT, MADHUBANI	G.N.M.	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
17	G.N.M. SCHOOL, SUKHPUR, SUPAUL	G.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
18	G.N.M. SCHOOL, WARD NO. 4 KATI HAR	G.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
19	G.N.M. SCHOOL, LEPROCY HOSPITAL, MUNGER	G.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
20	G.N.M. SCHOOL, MAHULI, JAMUI	G.N.M.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
21	G.N.M. SCHOOL OLD SDH, KHAGARIA	G.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
22	G.N.M. SCHOOL, NOONGARH, LAKHISARAI	G.N.M.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
23	G.N.M. SCHOOL, SADAR HOSPITAL, ARWAL	G.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
24	G.N.M. SCHOOL, BARKA KATRA, BHABUA	G.N.M.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
25	G.N.M. SCHOOL, SDH. HATHWA, GOPALGANJ	G.N.M.	60	24	6	9	1	10	8	2	60	3
26	G.N.M. SCHOOL, SDH, MAHARAJGANJ, SIWAN	G.N.M.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
	Total		1538	615	154	246	15	277	185	46	1538	77

नोट : (i) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जा

(iii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।

(iv) भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

33

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1D :- पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए निजी संस्थानों में G.N.M. पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी
(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

SL	INSTITUTE	BRANCH	TOTAL (UR)
0	1	2	3
1	Ambedkar Institute of Higher Education Own Campus Chhitnawa, Danapur, Patna	G.N.M.	30
2	Dhanarua School of Nursing and Paramedics Ebrahimpur Awadhara, Pavery, Dhanarua, Patna.	G.N.M.	25
3	Gautam Institute of Nursing Saiyad Bahri, Chandi, Hilsa road, Nalanda.	G.N.M.	20
4	Gautam Institute of Nursing & Paramedics, Bhaganbigha, Sohsarai Biharsharif, Nalanda	G.N.M.	20
5	Himalya Institute of Higher Education, Khemnichak Subash Nagar, Patna.	G.N.M.	100
6	Mata Gujri Memorial GNM Nursing School, Kishanganj	G.N.M.	30
7	Narayan Nursing College Jamuhar, Sasaram, Rohtas.	G.N.M.	50
8	National Institute of Health Education and research, IDH, Colony, Gulzarbagh, Patna.	G.N.M.	30
9	Patliputra ANM & GNM Training School, Khemnichak, Subhash Nagar, Patna.	G.N.M.	30
10	Patna Institution of Nursing & Para Medical Science Brahampur, New Jaganpura, Patna.	G.N.M.	20
11	R.B. Memorial School of Nursing R.S. Tank Laheriasarai, Darbhanga.	G.N.M.	25
12	Shershah Medical Research & Training Sansthan Takiya Sasaram, Rohtas.	G.N.M.	25
13	Shivam College of Higher Studies Nursing Phulwaria, Baikatpur, Patna	G.N.M.	30
14	Swami Vivekanand Nursing School, Madhav Villa, Chakai road simultalla, Jamui	G.N.M.	30
15	D.P. Singh Institute of Education, Gautamnagar, Shahpur Rahui, Nalanda.	G.N.M.	30
16	Mata Sushila Institute of Education, Saiyad Bahri, Hilsa, Nalanda.	G.N.M.	30
17	MGM College of Nursing and Paramedical School, Azad Nagar, Patna.	G.N.M.	30
18	Ashoka Nursing and Paramedical College (GNM) School Lachubigha, Nagarnosha, Nalanda.	G.N.M.	25
19	Daksh School of Nursing and Hospital, Daksh Nagar, Dhebar Maharajganj, Siwan	G.N.M.	30
20	Ambedkar College of Education Dalmiya Nagar Dehri, Rohtas	G.N.M.	30
21	AIHE Professional Institute, Jamsaut, R.K. Puram road, Mathiyapur, Danapur, Patna.	G.N.M.	30
22	Apolo Nursing Training School, Saidnagar, Lahariyasarai, Darbhanga.	G.N.M.	20
23	Medical Training Sansthan, Jaso road, Buxar.	G.N.M.	23
24	Krishna Institute of Nursing and paramedical Sciences Rahimpur Rudauli, Harpur Aloth, Samastipur.	G.N.M.	30
25	Nutan College of Nursing, Dhanhara, Manik Chowk Sitamarhi.	G.N.M.	30
26	Maa tarachandi Institute, Lalganj, Sasaram (Rohtas)	G.N.M.	30
27	Prashant Nursing Training School, Lenin Chowk, Muzaffarpur	G.N.M.	30
28	Pramila Adhar Nursing School (GNM Nursing School) Satanpur, Samastipur	G.N.M.	30
29	Magadh Paramedical and Nursing Institute, Kewala, Dhamana, Gaya	G.N.M.	30
30	Shyamal Chandrashekar Nursing College parmanandpur, Khagaria.	G.N.M.	28
31	Shubhwanti Institute of Education, Pachora, Siwan.	G.N.M.	30
32	yamuna Institute of Nursing Rajora, Begusarai.	G.N.M.	23
33	Priyadarshani Nursing Institute, Benta Chowk laheriasarai, Darbhanga.	G.N.M.	30
34	Raj Nursing Institute (GNM School) Odar Bhabhua, Kaimur	G.N.M.	25
35	Shri Bhagawat Prasad Singh Memorial College of Nursing, (GNM Nursing School) Aurangabad	G.N.M.	30
36	Maa Kanti School of Nursing (GNM Nursing School) Rayjay Krishan Road, Gurhatta, Patna City, Patna	G.N.M.	25
37	S.N.S. Institute of Nursing Science, Motihari, East Champaran.	G.N.M.	28
38	Baba Rajaram College of Education, Matashi, Halshi, Lakhisarai.	G.N.M.	25
39	RRP School of Nursing, Dalmiya Nagar, Sasaram, Rohtas	G.N.M.	25
40	Rampratap Institute of Higher Education, Chakand, Gaya	G.N.M.	25
41	Subhadra Devi School of Nursing, Hajipur, SDO Road Vaishali	G.N.M.	30
42	Dr. Nesar Haidar Institute of Nursing Sciences, Sakari, Madhubani	G.N.M.	23
43	Verma College of Nursing and Paramedical Science, Anathe, Arha, Bhojpur	G.N.M.	28
44	Mamta Institute of Education, Chintamanpur, Daronda, Siwan	G.N.M.	30
45	Triveni College of Education, Kunti Nagar, Nadawa	G.N.M.	30
46	Vivekanand Paramedical and Nursing College, Near D.A.V. School, Gaya Dobhi road Gaya.	G.N.M.	30

SL	INSTITUTE	BRANCH	TOTAL (UR)
0	1	2	3
47	National Institute of Nursing and Paramedical Science, Chandi, Nalanda	G.N.M.	30
48	Taluka Institute of Nursing Sorasth Near Sabha Gachi, Block Rahika, Ward No. 11, Madhubani	G.N.M.	23
49	K.K. Institute of Nursing (GNM Training School), Berouti Nepura, Biharsharif, Nalanda	G.N.M.	30
50	Shree Raj Nursing Training Institute, Mithapur, Bus Stand Road, Patna	G.N.M.	30
51	Dhano Devi Higher Educational GNM School, Ghosi Road, Batragibag. Jehanabad	G.N.M.	20
52	Shivam Higher Education Foundation GNM College, Khajha Kothi, Purnea	G.N.M.	30
53	Best Nursing Institute (GNM School) Golambar near baba dharmkanta, Buxar.	G.N.M.	25
54	Guro Binda College, Ashok Nagar, Nawada	G.N.M.	30
55	ST. Marry Nursing Institute, Hasauli, Muffasil, Aurangabad	G.N.M.	30
56	Madhubani Institute of Nursing and Paramedical Science, Madhubani	G.N.M.	30
57	Dr. Indira Institute of Nursing and Paramedical, Nauri, Jhapaha, Ahiyapur, Muzaffarpur	G.N.M.	30
58	Bhabhyshree Institute of Nursing (GNM Training School), Bhagwat Nagar, Patna	G.N.M.	30
59	Mona School of Nursing and Paramedical College, Trilok Nagar, Agamkuna, Patna	G.N.M.	30
60	Katihar GNM Nursing Training School, Near KMCH Bhariya, Rahika, Dalan, Katihar	G.N.M.	30
61	Leedar Institute of Higher Education, Rahimpur Rudouli, Harpur Alouth, Muffasil, Samastipur	G.N.M.	30
62	Krishna Institute of Higher Education, Murliganj, Madhepura	G.N.M.	30
63	Darshrath Prasad Singh Institute of Health Education, Prahaladpur, Silout, Muzaffarpur	G.N.M.	30
64	Prasad Nursing Institute, Brahmpura main road, MIT, Brahmpura, Muzffarpur	G.N.M.	30
65	Maharshi Dayanand Institute of Nursing, Horalpatti, Laharisarai, Darbhanga	G.N.M.	30
66	Chanakya College of Education, Dulhin Bazar, Patna	G.N.M.	30
67	Shyam School of Nursing Karouna Jehanabad	G.N.M.	30
68	School of Nursing, Duncan Hospital, Raxaul, Bihar	G.N.M.	10
69	Tripolia School of Nursing, Tripolia Social Service Hospital, Gulzarbagh, Alamganj, Patna.	G.N.M.	10
Total			1986

नोट:

- (i) सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कारुन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
- (ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
- (iii) भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.2 :- पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम के लिए सीटों की विवरणी

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

INSTITUTE	BRANCH	Total Seat	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules									DQ
			UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
P.M.C.H. PATNA	OPHTHALMIC ASSISTANT	40	16	4	6	1	7	5	1	40	2	
P.M.C.H. PATNA	LABORATORY TECHNICIAN	35	14	4	6	0	6	4	1	35	2	
P.M.C.H. PATNA	X' RAY TECHNICIAN	25	10	3	4	0	4	3	1	25	1	
P.M.C.H. PATNA	O.T. ASSISTANT	25	10	2	4	0	5	3	1	25	1	
P.M.C.H., PATNA TOTAL		125	50	13	20	1	22	15	4	125	6	
D.M.C.H. LAHERIASARAI	OPHTHALMIC ASSISTANT	30	12	3	5	1	5	3	1	30	2	
D.M.C.H. LAHERIASARAI	LABORATORY TECHNICIAN	30	12	3	5	0	5	4	1	30	2	
D.M.C.H. LAHERIASARAI	X' RAY TECHNICIAN	25	10	2	4	0	5	3	1	25	1	
D.M.C.H. LAHERIASARAI	O.T. ASSISTANT	25	10	3	4	0	5	3	0	25	1	
D.M.C.H. LAHERIASARAI TOTAL		110	44	11	18	1	20	13	3	110	6	
J.L.N.M.C.H. BHAGALPUR	OPHTHALMIC ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1	
J.L.N.M.C.H. BHAGALPUR	LABORATORY TECHNICIAN	20	8	2	3	1	3	2	1	20	1	
J.L.N.M.C.H. BHAGALPUR	X' RAY TECHNICIAN	15	6	1	3	0	3	2	0	15	1	
J.L.N.M.C.H. BHAGALPUR	O.T. ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	0	
J.L.N.M.C.H. BHAGALPUR TOTAL		65	26	7	10	1	12	8	1	65	3	
N.M.C.H. PATNA	OPHTHALMIC ASSISTANT	20	8	2	3	0	4	2	1	20	1	
N.M.C.H. PATNA	LABORATORY TECHNICIAN	25	10	2	4	1	4	3	1	25	1	
N.M.C.H. PATNA	X' RAY TECHNICIAN	20	8	2	4	0	3	2	1	20	1	
N.M.C.H. PATNA	O.T. ASSISTANT	20	8	2	3	0	4	3	0	20	1	
N.M.C.H. PATNA TOTAL		85	34	8	14	1	15	10	3	85	4	
S.K.M.C.H. MUZAFFARPUR	OPHTHALMIC ASSISTANT	15	6	1	3	0	3	2	0	15	0	
S.K.M.C.H. MUZAFFARPUR	LABORATORY TECHNICIAN	20	8	2	3	1	3	2	1	20	1	
S.K.M.C.H. MUZAFFARPUR	X' RAY TECHNICIAN	15	6	1	2	0	3	2	1	15	1	
S.K.M.C.H. MUZAFFARPUR	O.T. ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1	
S.K.M.C.H. MUZAFFARPUR TOTAL		65	26	6	10	1	12	8	2	65	3	
A.N.M.M.C.H. GAYA	OPHTHALMIC ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1	
A.N.M.M.C.H. GAYA	LABORATORY TECHNICIAN	20	8	2	3	0	4	2	1	20	1	
A.N.M.M.C.H. GAYA	X' RAY TECHNICIAN	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1	
A.N.M.M.C.H. GAYA	O.T. ASSISTANT	15	6	1	3	0	2	2	1	15	0	
A.N.M.M.C.H. GAYA TOTAL		65	26	7	10	0	12	8	2	65	3	
B.M.I.M.S. PAWAPURI, NALANDA	OPHTHALMIC ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1	
B.M.I.M.S. PAWAPURI, NALANDA	LABORATORY TECHNICIAN	15	6	1	3	0	2	2	1	15	1	
B.M.I.M.S. PAWAPURI, NALANDA	X' RAY TECHNICIAN	15	6	2	2	1	3	1	0	15	1	
B.M.I.M.S. PAWAPURI, NALANDA	O.T. ASSISTANT	15	6	1	3	0	2	2	1	15	0	

INSTITUTE	BRANCH	Total Seat	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules								
			UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	DQ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.M.I.M.S. PAWAPURI TOTAL		60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
G.M.C., BETTIAH	OPHTHALMIC ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1
G.M.C., BETTIAH	LABORATORY TECHNICIAN	20	8	2	3	0	4	2	1	20	1
G.M.C., BETTIAH	X' RAY TECHNICIAN	15	6	1	3	0	3	2	0	15	1
G.M.C., BETTIAH	O.T. ASSISTANT	15	6	1	2	1	2	2	1	15	1
G.M.C., BETTIAH TOTAL		65	26	6	10	1	12	8	2	65	4
		640	256	64	102	7	115	77	19	640	32
P.M.I. SADAR HOSPITAL, BUXAR	BLOOD TRANSFUSION TECH	40	16	4	7	0	7	5	1	40	2
P.M.I. SDH HATHWA, GOPALGANJ	O.T. ASSISTANT	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
P.M.I. SDH LEPROSY HOSPITAL, MUNGER	ANAESTHESIA TECH.	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
P.M.I. SDH LEPROSY HOSPITAL, MUNGER	MED. RADIOLOGY TECH	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL, SAHARSA	O.T. ASSISTANT	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL, SAHARSA	ORTHOPEDIC & PLASTER TECH.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
P.M.I. NUNGARH, LAKHISARAI	ANAESTHESIA TECH.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
P.M.I. NUNGARH, LAKHISARAI	MED. RADIOLOGY TECH	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
P.M.I. MAHULI, JAMUI	SANITARY INSPECTOR	20	8	2	3	0	4	2	1	20	1
P.M.I., SADAR HOSPITAL, ARWAL	LABORATORY TECHNICIAN	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
P.M.I., SADAR HOSPITAL, CHHAPRA, SARAN	PHYSIOTHERAPY	40	16	4	6	1	7	5	1	40	2
P.M.I., SADAR HOSPITAL, CHHAPRA, SARAN	OCCUPATIONAL THERAPY	40	16	4	7	0	7	5	1	40	2
P.M.I., SADAR HOSPITAL, CHHAPRA, SARAN	ORTHOTICS & PROSTHETIC	40	16	4	6	0	8	5	1	40	2
P.M.I., OLD SUBDIVISIONAL HOSPITAL, KHAGARIA	O.T. ASSISTANT	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
P.M.I., OLD SUBDIVISIONAL HOSPITAL, KHAGARIA	MED. RADIOLOGY TECH	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
P.M.I. SADAR HOSPITAL, MADHUBANI	E.C.G. TECH.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
P.M.I. RAJAPAKAR, VAISHALI	OPHTHALMIC ASSISTANT	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
P.M.I. RAJAPAKAR, VAISHALI	ORTHOPTICS	30	12	3	5	1	5	3	1	30	1
P.M.I. RAJAPAKAR, VAISHALI	E.C.G. TECH.	30	12	3	5	0	5	4	1	30	2
P.M.I., SADAR HOSPITAL, EACH CHAMPARAN	O.T. ASSISTANT	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
P.M.I., SUPAUL	ANAESTHESIA TECH.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
P.M.I., SUPAUL	ORTHOPEDIC & PLASTER TECH.	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
P.M.I., SARANGPUR, BHABHUA	LABORATORY TECHNICIAN	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
P.M.I., REFERRAL HOSPITAL GHOSI, JEHANABAD	O.T. ASSISTANT	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
P.M.I., MAKHDUMPUR PHC, SHEIKHPURA	HOSPITAL & DOMICILIARY CARE ASSISTANT	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
P.M.I., MAKHDUMPUR PHC, SHEIKHPURA	ORTHOPEDIC & PLASTER TECH.	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
P.M.I., SADAR HOSPITAL, KATIHAR	O.T. ASSISTANT	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
P.M.I., SADAR HOSPITAL, WEST CHAMPARAN	LABORATORY TECHNICIAN	20	8	2	3	0	4	2	1	20	1
P.M.I., SADAR HOSPITAL, WEST CHAMPARAN	O.T. ASSISTANT	15	6	2	2	0	3	2	0	15	1
P.M.I., SADAR HOSPITAL, WEST CHAMPARAN	OPHTHALMIC ASSISTANT	15	6	1	2	0	3	2	1	15	0
P.M.I., SADAR HOSPITAL, WEST CHAMPARAN	X' RAY TECHNICIAN	15	6	2	2	0	2	2	1	15	1
P.M.I., SADAR HOSPITAL, PURNEA	PHYSIOTHERAPY	40	16	4	6	1	7	5	1	40	2
P.M.I., SADAR HOSPITAL, PURNEA	OCCUPATIONAL THERAPY	40	16	4	7	0	7	5	1	40	2
P.M.I., SADAR HOSPITAL, PURNEA	ORTHOTICS & PROSTHETIC	40	16	4	6	0	8	5	1	40	2

INSTITUTE	BRANCH	Total Seat	Seats as per New Distribution and New Reservation Rules								
			UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	RCG	Total	DQ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P.M.I., MOTIHARA, KISHANGANJ	ANAESTHESIA TECH.	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
P.M.I., MOTIHARA, KISHANGANJ	MED. RADIOLOGY TECH	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
Total		1745	698	175	279	17	314	209	53	1745	87
Sub Total		2385	954	239	381	24	429	286	72	2385	119
GOVT. PHARMACY INSTITUTE, AGAM KUAN, GULZARBAGH, PATNA-7	DIPLOMA IN PHARMACY	60	24	6	9	1	11	7	2	60	3
G.P.I., BANKA	DIPLOMA IN PHARMACY	60	24	6	10	0	11	7	2	60	3
G.P.I. SIWAN	DIPLOMA IN PHARMACY	60	24	6	10	1	10	7	2	60	3
G.P.I. SASARAM	DIPLOMA IN PHARMACY	60	24	6	9	0	11	8	2	60	3
G.P.I. PAWAPURI	DIPLOMA IN PHARMACY	60	24	6	10	1	11	7	1	60	3
DIPLOMA IN PHARMACY Total		300	120	30	48	3	54	36	9	300	15
P.H.I. PATNA	LABORATORY TECHNICIAN	50	20	5	8	0	9	6	2	50	3
P.H.I. PATNA	SANITARY INSPECTOR	40	16	4	6	1	7	5	1	40	2
P.H.I. PATNA TOTAL		90	36	9	14	1	16	11	3	90	5
PATNA DENTAL COLLEGE	DENTAL HYGENIST	10	4	1	2	0	2	1	0	10	1
PATNA DENTAL COLLEGE	DENTAL MECHANICS	10	4	1	2	0	2	1	0	10	0
PATNA DENTAL COLLEGE Total		20	8	2	4	0	4	2	0	20	1
GRAND TOTAL		2795	1118	280	447	28	503	335	84	2795	140

नोट : (i) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी काउन्सिलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(ii) सीटों की विवरणी विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सिलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

(iii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।

(iv) भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

परिशिष्ट-4दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों की सूची

S.No.	Name of Medical Colleges / Institutions	Speciality for Disability
1.	PMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
2.	NMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
3.	IGIMS, Patna	Visual Impairment / Hearing and Speach Disability
4.	DMCH, Darbhanga	Visual Impairment / Locomotor Disability
5.	JLNMCH, Bhagalpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
6.	ANMMC, Gaya	Visual Impairment / Locomotor Disability
7.	SKMCH, Muzaffarpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
8.	GMCH, Bettiah	Locomotor Disability
9.	BMIMS, Pawapuri, Nalanda	Locomotor Disability
10.	JKTMC & H. Madhepua	Locomotor Disability



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

सं.भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./112862.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

- (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" के परिशिष्ट "ज" में एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश को परिशिष्ट "ज-1" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./45/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018, 21.05.2018 और 05.02.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट-ज-1

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 4 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी ङ. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य***जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80%विकलांगता: 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्यात्मक सक्षमता, सहायक उपकरणों, यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, की सहायता से, यह देखने के लिए, निर्धारित की जाएगी कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास ऐसी पर्याप्त चालक योग्यता है, जो यह पाठ्यक्रम जारी रखने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।	80% से अधिक विकलांगता
<p>* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।</p>						
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता		40% के बराबर या

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज			
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं	
					-	इससे अधिक विकलांगता	
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
			<p>(*)40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टिसहायक उपकरण जैसेकि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>@ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60%से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।</p>				
		घ.वाक् एवं भाषा विकलांगताएं\$	आर्गनिक/तंत्रिय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
		<p>\$वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 (तीन) से अधिक न हो, जोकि 40% या उससे कम हो।</p> <p>वाचाघात वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वाचाघात लब्धि (एक्यू) 40%या उससे कम हो।</p>					
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्टज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगताएं, डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक एफासिया)#	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता और 80% के बराबर या इससे कम विकलांगता। परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40%-60% तक की विकलांगता) जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता और/ या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएं जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुलऊतकदृढन	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किनसोनिज्म			
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलिसीमिया			
			iii. सिक्कल सैल रोग			

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	<p>उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रोग विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:</p> $क + \left[\frac{ख (90-क)}{90} \right]$ <p>(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।</p>		

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION
OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2019

No.MCI-34(41)/2019-Med./112862.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Graduate Medical Education Regulation, 1997”, namely: —

1. (i) These Regulations may be called the “Graduate Medical Education Regulations, (Amendment), 2019”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, in Appendix “H” - Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS –shall be substituted with Appendix “H-1”.

DR. R. K. VATS, Secy. General

[Advt.-III/4/Exty./45/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Graduate Medical Education Regulations, 1997” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018, 21/05/2018 & 05/02/2019.

Appendix “H - 1”

Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS Course.

- Note : 1. The “Certificate of Disability” shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.
2. The extent of “specified disability” in a person shall be assessed in accordance with the “Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)” notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. **The term ‘Persons with Disabilities’ (PwD) is to be used instead of the term ‘Physically Handicapped’ (PH).**

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	More than 80%
			b. Cerebral Palsy**			
			c. Dwarfism			
			d. Muscular Dystrophy			
			e. Acid attack victims			
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.			
		<p>* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course.</p>				
		B. Visual Impairment (*)	a. Blindness	Less than 40% disability	-	Equal to or More than 40% Disability
			b. Low vision			
		C. Hearing impairment@	a. Deaf	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
b. Hard of hearing						
(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids						

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
			such as telescopes / magnifier etc. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		D. Speech & language disability\$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			\$ Persons with Speech Intelligibility Affected (SIA) shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (three), which is 40% or below. Persons with Aphasia shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Aphasia Quotient (AQ) is 40% or below.			
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed. Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%. But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel.	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability.
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for MBBS course by an expert panel.	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing MBBS course by an expert panel.
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassaemia			
		iii. Sickle cell disease				
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $a + \left[\frac{b(90-a)}{90} \right]$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)</p> <p>is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.</p>		

परिशिष्ट-4(ii)

अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित दिव्यांगजन की अर्हता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0-13062, पटना दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-11/आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0 13062 पटना दिनांक 12.10.2017 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कडिका-V)
4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।

परिशिष्ट-4(iii)

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण

बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

वि० प्रा० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पोलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पोलिटिकल में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था। इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पोलिटिकल संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है। इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटिकल संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पोलिटिकल संस्थान के मामले में सभी पोलिटिकल संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पोलिटिकल संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हों।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा। सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी। अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट-5**CERTIFICATE OF DISABILITY FOR ADMISSION IN PM / PMM / PE COURSES**

Certificate No.:

Dated:

Name of the Designated Centre :

This is to certify that Mr. / Ms.

Aged: years Son / Daughter of Mr.

Residential Address :

.....

DCECE 2024 Roll No. : **DQ Rank** has the following disability (name of the specified disability) in (percentage) of (in words), (In figure).

* **Please tick on the “Specified Disability”**

SN.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability* B. Visual Impairment* C. Hearing Impairment* D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. other such as amputation, pollomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic / Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, dysprexia & Development Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neutological conditions b. Blood Disorders	i. Multiple Scierosis ii. Parkinson's disease i. Heamophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disability including Deaf Blindness		More than one of the above-specified disabilities

* **Conclusion:** He / She is **Eligible / Not Eligible** for admission in Medical / Engg. / Agriculture Courses as per the Notification(s) subject to his being otherwise medically fit.

Functional competency with the aid of Assitive devices in case of Locomotor* / Visual* / Hearing* Impairment, if any

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

(Signature of Principal)

Name :

Name of Institution

Same photo as given in
Online Application
Form duly attested by
the issuing authority

माडल प्रपत्र
(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री गाँव / शहर

पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल

जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं,

जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका

परिवार गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना

अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति / श्री ग्राम / नगर

प्रखण्ड पोस्ट थाना

अनुमण्डल जिला राज्य

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के

अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस

थाना अनुमण्डल जिला

राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की

कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय -

व्यवसाय से आय -

कृषि से आय -

अन्य स्रोतों से आय -

कुल आय (वार्षिक) -

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

मॉडल प्रपत्र

Schedule-I

(Form-I)

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of
 _____ permanent resident fo _____, Village/Street
 _____ Post Office _____ District _____ in the State _____

Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- i. 5 acres of agricultural land and above;
 - ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of the
applicant.

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2 : The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

आवश्यक

1. डी.सी.ई.सी.ई.-2024 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

(i)	Online Registration Starting Date	:	12.04.2024
(ii)	Online Registration Closing Date	:	11.05.2024
(iii)	Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate .	:	14.05.2024
(iv)	Online Editing of Application Form	:	16.05.2024 to 18.05.2024
(v)	Uploading of Online Admit Card	:	13.06.2024
(vi)	Proposed date of Examination	(I) PE	: 22.06.2024
		(II) PM एवं PMM	: 23.06.2024

2. आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा-शुल्क : देखें इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-10
3. बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड वेबसाइट : bceceboard.bihar.gov.in
4. कार्यालय (बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड) फोन नं. : 0612-2220230